न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 4, अजमेर
पीठासीन अधिकारी – ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना संख्या : 178/2024, पुलिस थाना जी आर पी, अजमेर
अपराध अंतर्गत धारा : 303(2),318(4) भारतीय न्याय संहिता
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 208/2026

विनोद पाण्डे पुत्र श्री बदन पाण्डे, निवासी वार्ड नम्बर 07 जगदर, पुलिस थाना परिहार जिला सितामढी बिहार

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.)

उपस्थिति–
1. श्री अक्षय सोनी व श्री राहुल कुमार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री गुलाम नजमी फारूकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

आदेश दिनांक – 17.03.2026

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.) माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जरिए अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सुभाष प्रसाद ने दिनांक 25.09.2024 को एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 08.09.2024 को उदयपुर से अजमेर आने के लिये रेल्वे स्टेशन चितौडगढ़ से भोपाल जयपुर में बैठकर सुबह समय 06.35 एएम को अजमेर स्टेशन पर उतरा और बाहर के तरफ 10–15 मिनट बाद में एक आदमी आया और उसके पास आकर बोला कि आप कहा जायोगे तो वह बोला कि गया जाऊंगा तो वो भी बोला कि वह भी गया जायेगा। ऐसे बातों में दोस्ती कर के टिकट कन्फर्म करने के बहाने से बाहर ले गया। बाहर रूक दुकान के पास गली में ले जाकर दूसरे से बात करते हुए टिकट कान्फर्म कराने के लिये बैंक ऑफ बडौदा का एटीएम कार्ड और रेडमी का मोबाईल फोन और आधार कार्ड ले लिये और उसके दोस्त के साथ भाग गया और अकाउण्ट नम्बर 47780100011383 के एटीएम से 42 हजार निकाल लिये और दूसरे दिन 1 लाख

लाख निकाल लिये। उस दिन ट्रेन होने के कारण और तबीयत खराब होने कारण वे घर चले गये और 1930 पर कॉल करके खाता बन्द करवा दिया था। रेडमी 9 फोन था, जिसमें एयरटेल की सिम लगी थी, जिसके मोबाईल नं. 7073389831 है। जिसके आईएमईआई नम्बर 869938055682406, 869938055682414 हैं ..... इत्यादि।

03– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जीआरपी अजमेर में मुकदमा संख्या 178/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं प्रकरण अभी अनुसंधानरत है।

04– दोनों पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जरिये वी.सी. यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी गांव में किराना दुकान चलाकर जीविका चलाता है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है और उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम केवल इस आधार पर सामने आया है कि उसके बैंक खाते में ₹15,000/– की राशि राम पुकार महतो नामक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। पिछले लगभग पाँच वर्षों से अपने परिवार सहित प्रार्थी की दुकान से सामान लेता रहा है और प्रायः भुगतान व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से करता है। जब जीआरपी अजमेर के पुलिस अधिकारी प्रार्थी के गांव आए, तब प्रार्थी को इस उक्त अपराध के बारे में जानकारी हुई। यूपीआई/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि जमा करने के लिए प्राप्तकर्ता की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। प्रार्थी के फरार होने की संभावना नहीं है। वह बिहार का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। प्रार्थी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है और उसकी गिरफ्तारी से उसकी प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उसके परिवार को अत्यधिक कठिनाई होगी। प्रार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए सभी शर्तों का पालन करेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

06– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

07– दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवादी सुभाष प्रसाद के दिनांक 08.09.2024 को ट्रेन भोपाल जयपुर में सफर करते वक्त टिकट कन्फर्म करने के बहाने से बाहर ले जाकर परिवादी

Authenticated Document

का बैंक ऑफ बडौदा का एटीएम कार्ड और रेडमी का मोबाईल फोन और आधार कार्ड ले कर एटीएम से 1 लाख 42 हजार रुपये निकालने का धारा 303(2),318(4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण में धारा 303(2),318(4) भारतीय न्याय संहिता का प्रथम दृष्टया आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में 15 हजार रूपये का स्थानान्तरण जरिये फोन–पे से पेटीएम (यूपीआई से यूपीआई) किया जाना केस डायरी से जाहिर होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड केस डायरी में संलग्न नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी सकुनत से रूहपोश चल रहा है, जिससे प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

08– परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त विनोद पाण्डे की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

09– आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

JAMSHEED AHMED

Digitally signed by JAMSHEED AHMED
Date: 2026.03.18 16:02:20 +0530

Authenticated Document